न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

...ख्या : 18/
141

1. मोरपाल आत्मज श्री नारायण जाति माली ।
2. शोजी आत्मज श्री नाथूलाल जाति माली ।
3. चैनसुखा आत्मज नन्दा जी जाति माली ।
4. मोहन आत्मज श्री नारायण जी जाति माली ।
5. मोहन आत्मज नाथूलाल जी जाति माली ।
6. रामरतन आत्मज श्री मोहन लाल जी जाति माली ।
7. रामस्वरूप आत्मज श्री शोजी लाल जाति माली निवासीगण ग्राम खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. धन्ना लाल आत्मज श्री नाथूलाल जी जाति माली निवासी ग्राम खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. रफीक आत्मज श्री सुबराती जाति मुसलमान ।
3. जगदीश आत्मज श्री हरदेव जी जाति गुर्जर ।
4. रामकिशन आत्मज श्री नाथूलाल जी जाति माली ।
5. नन्दा आत्मज श्री नाथूलाल जी जाति माली ।
6. पप्पू आत्मज श्री मोहन लाल जी जाति माली ।
7. डालू आत्मज श्री माधो जी जाति माली निवासीगण ग्राम खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. भूमिधारी तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री तेजमल जैन, श्री सूर्यकुमार जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांकः 16.03.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिकी दिनांक 17.03.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 1436 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 1449 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 1450 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा

51 रकबा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 1457 रकबा 06 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1624 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 1625 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1628 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1473/1975 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 09 कुल रकबा 15 बीघा 09 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी पर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । उक्त भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा यदि दौराने वाद उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर लिया जावे तो कब्जा पुनः वादी को दिलाया जावे ।

3. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एंव डिकी दिनांक 17.03.2017 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिकी दिनांक 17.03.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी निरस्त करने का निवेदन किया साथ अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में एक स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। न्यायालय हाजा ने दिनांक 06.04.2017 को स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनकर अपील में स्थगन नहीं दिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश पारित किये ।

6. न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.04.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की जिसमें पक्षकारान ने दिनांक 19.02.2018 को लिखित राजीनामा पेश किया उक्त राजीनामा को माननीय अतिरिक्त निबन्धक (न्याय) राजस्व मण्डल अजमेर ने तस्दीक किया और उक्त राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण न्यायालय हाजा को रिमाण्ड कर दिया ।

7. माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित आदेश की पालना में अपील अपीलान्ट पुनः दर्ज रजिस्टर की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. प्रस्तुत अपील में उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में हुए पक्षकारान के मध्य लिखित राजीनामा अनुसार अपील का निस्तारण करने का निवेदन किया ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने प्रस्तुत राजीनामा पर उभय पक्ष को सुनकर राजीनामे अनुसार अपील का निस्तारण करने का आदेश पारित किया है ।

10. हमने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के आदेश की पालना में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत लिखित राजीनामे का अवलोकन किया । उक्त राजीनामे में पक्षकारान द्वारा निवेदन किया गया है कि काउन्टर क्लेम की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 1436 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 1449 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1450 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 1451 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 1457 रकबा 06 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1624 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1625 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा

...28 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 1473/1975 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 09 कुल
...15 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी पर प्रतिवादीगण क्रम 1
...ाल, प्रतिवादी क्रम 2 शोजीलाल, प्रतिवादी क्रम 3 चैनसुखा, प्रतिवादी क्रम 4 मोहन आत्मज
...ारायण, प्रतिवादी क्रम 5 मोहन पुत्र नाथूलाल, प्रतिवादी क्रम 6 नन्दा को सहखातेदार आसामी
घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे । वादग्रस्त आराजी में राजस्व
रिकॉर्ड में वादी धन्ना के पक्ष में हो रही खातेदारी आसामी सम्बन्धी प्रविष्टियॉ वर्तमान परिस्थितियों
में विलोपित कर दी जावें । वादी धन्ना द्वारा दौराने वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द होते हुए
भी वादी जगदीश एवं रफीक के पक्ष में किये गये अवैधानिक हस्तान्तरण के पंजीकरण के आधार
पर सम्बन्धित राजस्व रिकॉर्ड में कोई इन्द्राज नहीं किया जावे । प्रतिवादी डालू का प्रारम्भ से ही
वादग्रस्त आराजी में कोई हित नहीं रहा है क्योंकि उसने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के वादग्रस्त
आराजी को वादी धन्ना को विक्रय कर दिया था । प्रतिवादी डालू तो वाद में केवल प्रो–फोर्मा
डिफेन्डेन्ट है जिसने माननीय उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत कर
दिया था । प्रतिवादी रामकिशन को प्रारम्भ से ही वादग्रस्त आराजी में कोई हित या रूचि नहीं थी
उसने इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय में अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया था । वादी रफीक
लकवाग्रस्त होकर बिस्तर पर ही रहता है उसके द्वारा एडवोकेट श्री रामबाबू शर्मा के पक्ष में पॉवर
ऑफ एटॉर्नी निष्पादित कर राजीनामा हेतु उन्हें अधिकृत कर दिया है । अतः चरण संख्या 2 में
वर्णित राजीनामे के अनुसार उपखण्ड अधिकारी, नैनवा द्वारा वाद संख्या 34/2003 में पारित
निर्णय व डिक्री दिनांक 17.052017 निरस्त फरमया जाकर वादीगण का वाद निरस्त फरमाया
जाकर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावे । उक्त राजीनामा को
माननीय अतिरिक्त निबन्धक (न्याय) द्वारा तस्दीक किया गया है ।

11. हम माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित आदेश की पालना में राजीमाने को स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा अनुसार डिक्री पारित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । पक्षकारान के मध्य
हुए राजीनामे के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 1436 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर
1449 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1450 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर
1451 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 1457 रकबा 06 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1624 रकबा
01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1625 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1628 रकबा 09
बिस्वा, खसरा नम्बर 1473/1975 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 09 कुल रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा
वाके ग्राम खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी पर प्रतिवादीगण क्रम 1 मोहरपाल, प्रतिवादी क्रम 2
शोजीलाल, प्रतिवादी क्रम 3 चैनसुखा, प्रतिवादी क्रम 4 मोहन आत्मज नारायण, प्रतिवादी क्रम 5
मोहन पुत्र नाथूलाल, प्रतिवादी क्रम 6 नन्दा को सहखातेदार आसामी घोषित किया जाता है
तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे । वादग्रस्त आराजी में राजस्व रिकॉर्ड में वादी
धन्ना के पक्ष में हो रही खातेदारी आसामी सम्बन्धी प्रविष्टियॉ विलोपित की जाती है ।

13. निर्णय आज दिनांक 16.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/ ...
141

1. मोरपाल आत्मज श्री नारायण जाति माली ।
2. शोजी आत्मज श्री नाथूलाल जाति माली ।
3. चैनसुखा आत्मज नन्दा जी जाति माली ।
4. मोहन आत्मज श्री नारायण जी जाति माली ।
5. मोहन आत्मज नाथूलाल जी जाति माली ।
6. रामरतन आत्मज श्री मोहन लाल जी जाति माली ।
7. रामस्वरूप आत्मज श्री शोजी लाल जाति माली निवासीगण ग्राम खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. धन्ना लाल आत्मज श्री नाथूलाल जी जाति माली निवासी ग्राम खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. रफीक आत्मज श्री सुबराती जाति मुसलमान ।
3. जगदीश आत्मज श्री हरदेव जी जाति गुर्जर ।
4. रामकिशन आत्मज श्री नाथूलाल जी जाति माली ।
5. नन्दा आत्मज श्री नाथूलाल जी जाति माली ।
6. पप्पू आत्मज श्री मोहन लाल जी जाति माली ।
7. डालू आत्मज श्री माधो जी जाति माली निवासीगण ग्राम खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. भूमिधारी तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।

—प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.03.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा जिला बून्दी ।

त वाद संख्याः 34 / दावा / 2003

1. धन्ना लाल आत्मज श्री नाथूलाल जी जाति माली निवासी ग्राम खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. रफीक आत्मज श्री सुबराती जाति मुसलमान तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. जगदीश आत्मज श्री हरदेव जी जाति गुर्जर निवासी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. मोरपाल आत्मज श्री नारायण जाति माली निवासी खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. शोजी आत्मज श्री नाथूलाल जाति माली निवासी खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. चैनसुखा आत्मज नन्दा जी जाति माली निवासी खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. मोहन आत्मज श्री नारायण जी जाति माली निवासी खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. मोहन आत्मज नाथूलाल जी जाति माली निवासी खानुपरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. रामरतन आत्मज श्री मोहन लाल जी जाति माली निवासी खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. रामस्वरूप आत्मज श्री शोजी लाल जाति माली निवासी खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. रामकिशन आत्मज श्री नाथूलाल जी जाति माली निवासी खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
9. नन्दा आत्मज श्री नाथूलाल जी जाति माली निवासी खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
10. पप्पू आत्मज श्री मोहन लाल जी जाति माली निवासी खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
11. डालू आत्मज श्री माधो जी जाति माली निवासी खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
12. भूमिधारी तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.03.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 16.03.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री तेजमल जैन, श्री सूर्य कुमार जैन एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री रामबाबू शर्मा के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामे के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 1436 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 1449 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1450 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 1451 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 1457 रकबा 06 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1624 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1625 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1628 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 1473 / 1975 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 09 कुल रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम

खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी पर प्रतिवादीगण क्रम 1 मोहरपाल, प्रतिवादी क्रम 2 शोजीलाल, प्रतिवादी क्रम 3 चैनसुखा, प्रतिवादी क्रम 4 मोहन आत्मज नारायण, प्रतिवादी क्रम 5 मोहन पुत्र नाथूलाल, प्रतिवादी क्रम 6 नन्दा को सहखातेदार आसामी घोषित किया जाता है तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे । वादग्रस्त आराजी में राजस्व रिकॉर्ड में वादी धन्ना के पक्ष में हो रही खातेदारी आसामी सम्बन्धी प्रविष्टियॉ विलोपित की जाती है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिक्री आज तारीख 16.03.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा